

ओर के वर ✓/✓ फर्द अहकाम
बनाम गवानी सिंह कौर

उपखण्ड अधिकारी



97/2016 प्राचीनपत्र

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

28210 वकुलाप उर्फ चैलेकाम
साम्बन्ध उर्फ। P.O. सा फोर्ट में
पधारहे गत आदेश की पालना
के दिनांक - 12/4/18 को पेश

दे हेतु
प्रस्तुतकार
उप-खण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

12418 वकुलाप उर्फ चैलेका साम्बन्ध
उर्फ। पवार साम्बन्ध के अन्तर्गत पधारहे
जवाब साम्बन्ध हेतु दिनांक 26/4/18 को पेश
दे तब तक पूर्व आदेश प्रभाव रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

26418 वकुलाप उर्फ चैलेकाम
साम्बन्ध उर्फ जवाब साम्बन्ध का
अन्तर्गत पधारहे वास्तु पेश होने
जवाब साम्बन्ध दिनांक 08/6/18
को पेश दे तब तक पूर्व आदेश
प्रभाव रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

06/06/2018

पत्रावली राजस्व लोक अदालत
कैम्प कोर्ट जोधपुरा में पेश हुई।
उपस्थित पक्षकारों को सुना गया।
पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध
इसलोकजो विधि के सुसंगत प्रावधानों
का अवलोकन किया गया।

विजयसिंह

श्री. र.

सुभे सिंह

गवानी सिंह

विराटनगर

फर्द अहकाम
 ओम केवल की बनाम V/S गवानी हिंदू
 कांस्टेबल

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 विहाटनगर (जयपुर)
 केस संख्या

97/2016 प्रार्थनापत्र

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		<p>ग्राम सताना के ख.नं. 547, 548, 550, 551, 554, 964 जिला 6 रकबा 2.91 हेक्टेयर की खेतदारी हाल सेटिलमेंट संवत् 2039 में प्रार्थीमाता एवं अप्रार्थी सं. 1 लगा. 4 के जिला पुहलार सिंह के नाम डर्ज रिकार्ड रही हैं। विरासत का नामान्तकरण सं. 132, एवं 88 अप्रार्थी सं. 1 लगा. 4 एवं माता सजन केवल के हक में ही खुलवा लिया, जवाब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुत्रों के समान ही पुत्रीयों को भी हक अधिकार है। अप्रार्थीमाता, प्रार्थीमा के हक अधिकारों के विपरीत आरपी को रद्द कर हस्तान्तरण करके पा आता है। जल, मूल वाड के न्याय पूर्व निस्तारण तक दोनों पक्षों को प्राकृत दिया जाता है कि ज़ाराजी पुतनाजा ख.नं. 547, 548, 550, 551 554, 964 ग्राम सताना व भोजेरा के राजस्व रिकार्ड एवं मौका की थका क्विचि काफ्त रखें। निर्णय मजदरे ज्ञात सुनाया गया।</p>	



पीठाधीन अधिकारी
 राजस्व बोक अदालत